


GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(TAX DIVISION)

Jaipur, dated: 17.08.2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the registration fees chargeable in excess of rupees ten thousand on the instrument of transfer of immovable property of a sick enterprise as defined in the Rajasthan Sick Micro and Small Enterprises (Revival and Rehabilitation) Scheme, 2015 for the purposes of revival of such enterprise shall be remitted on submission of certificate of sickness, before the Registering Officer, issued by the appropriate authority under the said Scheme.

[No.F.2(36)FD/Tax/2017-74]  
By order of the Governor,

  
(Shankar Lal Kumawat)  
Jt. Secretary to the Government

**राजस्थान-सरकार**  
**कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,**  
**"पंजीयन-भवन", अजमेर**

क्रमांक : एफ.7(40)जन/2016.17/ 7992-8591 दिनांक : 23-08-2017

राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.2(36)वित्त/कर/2017-74 दिनांक 17.08.17 की प्रति सूचनार्थ, पालनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित प्रेषित है :-

- 1 शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लॉक वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
- 3 समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
- 4 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
- 5 पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
- 6 आयुक्त, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता, जे-8ए. ई.एम.आई.परिसर, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
- 7 वित्तीय सलाहकार, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मुख्यालय अजमेर।
- 8 अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जयपुर।
- 9 समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
- 10 संयुक्त निदेशक (कंप्यूटर), मुख्यालय अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधिसूचना को विभाग की वेबसाई [igrs.rajasthan.gov.in](http://igrs.rajasthan.gov.in) पर तत्काल अपलोड करावें।
- 11 समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।
- 12 निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।

(रेणू जयपाल)  
अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन),  
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
राजस्थान, अजमेर